कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर।

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–6221/एडमिन'जी.–1'/2019 इलाहाबाद दिनांकित–14–05–2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासना–देश संख्या–102/सात–न्याय–2 2015–728/86 दिनांकित–18–06–2015 के अधीन तथा जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर से विचार विमर्श के उपरान्त परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की आबद्वता के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रकिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

1–अर्ह व्यक्तियों से आवेदन–पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।

2–यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नही मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नही है।

3–शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो । इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जायेगी।

4–विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 के बीच होनी चाहिए।

5–आवेदन–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

6–राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगी।

7–परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

8–परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में तीन वर्ष का होगा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उसके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

9–परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नही मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगें।

(2)

उक्त प्रकिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र स्व प्रमाणित फोटो सहित **दिनांक–05–06–2019 तक** प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में अनिवार्य रूप से **शाम पांच बजे तक** उपलब्ध करा दें इसके पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन–पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

21.05.2019

(सुनील कुमार)
सदस्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिद्धार्थनगर।
दिनांक–21–05–2019

21.05.19

(महेन्द्र कुमार–प्रथम)
सदस्य
परामर्शदात्री समिति/
सिविल जज(सी0डि0)
दिनांक–21–05–2019

D.K. Tiwari 21/05/2019

(ध्रुव कुमार तिवारी)
अध्यक्ष
परामर्शदात्री समिति/
अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय सिद्धार्थनगर।
दिनांक–21–05–2019

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1–जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2–जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाचार पत्रों में।

<u>नोटः</u>–इसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय के वेवसाइट पर भी डाली जाय।

(3) अध्यक्ष/ मंत्री जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को

(4) अध्यक्ष/ मंत्री तालुका विधिक सेवा समिति